

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025/524

दायरा तिथि :

आदेश तिथि : 10/09/2025

प्रार्थी :-

1. छोगाराम उर्फ छोगालाल पुत्र लुम्बाराम
2. मेघाराम पुत्र लुम्बाराम जातिगण मेघवाल निवासीगण खुडाला तहसील बाली

ब न अ म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान कारतकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 10/09/2025

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान कारतकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम खुडाला पटवार हल्का खुडाला तहसील बाली के खसरा नंबर 1609 रकबा 0.6200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम खुडाला पटवार हल्का खुडाला तहसील बाली के खसरा नंबर 1615 रकबा 0.5400 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान कारतकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/1528 दिनांक 05.06.2025 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह है कि प्रार्थी की धारित भूमि तक आवागमन हेतु कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
2. प्रस्तावित रास्ता किसी सड़क अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता नौके पर चलायमान है।
4. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किरम	रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1615	0.54 हैक्टर	बा.अ.	5.50X80=440 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

5. यह कि निरोधक भू-अभिलेख खुडाला द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 4,28,900/- रूपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण में तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के परघात् यह जाहिर कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम खुडाला पटवार हल्का खुडाला तहसील बाली के खसरा नंबर 1615 रकबा 0.5400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के परघात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

पेज लगातार.....02

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 संपादित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (गुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम खुडाला पटवार हल्का खुडाला तहसील बाली के खसरा नंबर 1609 रकबा 0.6200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम खुडाला पटवार हल्का खुडाला तहसील बाली के खसरा नंबर 1615 रकबा 0.5400 हैक्टर में से 440 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति वर्ग मी.) रुपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 428900/-रुपये प्रति हैक्टर से दोगुनी राशि	नाम खातेदार
1615	0.54 हैक्टर	5.50X80=440 वर्गमीटर	43	18920X2=37840	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 37840/- (अक्षरे सैंतीस हजार आठ सौ चालीस रुपये मात्र) रुपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रिकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना सुनिश्चित करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालना भिजवायी जावे। मिसाल फंसल होकर नबर का काम हो।



क्रमांक/कोर्ट/2025/1206-प्री/5210
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालना

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 खुडाला
3. पटवारी हल्का, खुडाला
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक छोगाराम उर्फ छोगालाल पुत्र लुम्बाराम जाति मेघवाल निवासी खुडाला तहसील बाली वगैरा को सूचनार्थ।

(दिने के विरुद्ध)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक 10/09/2025

उपखण्ड अधिकारी बाली
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 07/06/2024 09:07:33 AM

तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र : खुडाला

ग्राम : खुडाला

जिला : पाली

परी हत्का : खुडाला

1644/1914

1609

1644



1614

1643

1640

1616

1640/1

Scale 1:1000

खसरा संख्या : 1615 क्षेत्रफल : 0.5400 Hectare खाता संख्या : पुराना खाता संख्या : 1

भूमे किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बरानी अय्यल [0.5400]

राज. सरकार

यु.के. शर्मा

राजेंद्र सिंह

भू-अभिलेख निरीक्षक, खुडाला

तहसील-बाली (पाली)
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

52.95
12.95
87.85
5
80

तहसीलदार, बाली

- नोट :-
1. यह नक्शा प्रार्थी को जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

1. लोंगालाल
मजारा म.

16
2
320